भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 781 #

गुरूवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र का आधुनिकीकरण

781 # श्रीमती दर्शना सिंहः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हाल के वर्षों में विशेष योजनाएँ अथवा दिशा-निर्देश लागू किए हैं;

(ख) क्या पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल पर्यटन एवं एआई आधारित सेवाओं, जैसे ई-वीज़ा, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल/एआई गाइड और हेल्पलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ग) क्या पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने हेतु परिवहन संबंधी कनेक्टिविटी, सूचना तंत्र तथा आपातकालीन सेवाएँ सुदृढ़ की जा रही हैं; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में इन क्षेत्रों में और सुधार पर विचार कर रही है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटकों की सुरक्षा एवं हिफाजत अनिवार्य रूप से राज्य का विषय है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने हेतु समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के समक्ष इस मामले को लगातार उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश ने पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

पर्यटकों के लिए यात्रा को सुरक्षित और हिफाजत-युक्त बनाने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत में यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से निर्भया कोष के तहत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा एवं हिफाजत में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन की आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से, महिलाओं एवं बच्चों, दोनों को शोषण से मुक्ति, सुरक्षा एवं सम्मान जैसे मुलभूत अधिकारों के साथ की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है।

ई-वीजा प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। एक विदेशी पर्यटक कहीं से भी ई वीजा के लिए आवेदन कर सकता है। ई-वीजा की शुरुआत ने पर्यटन, व्यवसाय और चिकित्सा जैसे वैध उद्देश्यों के लिए विदेशी पर्यटकों को भारत में निर्बाध प्रवेश प्रदान करने में मदद की है। ई-वीजा विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में जारी किए गए ई-वीजा की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

पर्यटन मंत्रालय ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और विविध आकर्षणों की खोज में रुचि रखने वाले पर्यटकों और हितधारकों के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म (आईआडीपी) का नया संस्करण शुरू किया। आईआईडीपी एक एआई-संचालित टूल का उपयोग करता है, जो वास्तविक समय में मौसम संबंधी अपडेट, शहर की जानकारी और आवश्यक यात्रा सेवाओं की पेशकश करके आगंतुकों के अनुभव को वैयक्तिकृत करता है। यह आईओएस और एंड्रॉइड, दोनों प्लेटफार्मों पर उपलब्ध एक मोबाइल एप्लिकेशन की सहायता से चलता है एवं इसमें डिजिटल असेट्स की जानकारी को साझा करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए एक कंटेंट हब शामिल है। पोर्टल ने 'एएसआई स्मारकों' के लिए उड़ानों, होटलों, कैब और बसों एवं टिकटों की निर्बाध बुकिंग के लिए कई ओटीए (ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों) और हितधारकों के साथ सहभागीदारी की है। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इसे राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि+) पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है।

भारत को दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए देश में परिवहन संपर्कता, सूचना प्रणाली एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर निरंतर कार्य कर रहा है।

*****